



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1939/JH/7/2023-ESDW

दिनांक: 06.07.2023

श्री सुशांत गौरव,
उपायुक्त,
जिला - गुमला
कलेक्टर बिल्डिंग, गुमला,
झारखण्ड - 835207
ई मेल: dc-gum@nic.in

डॉ. एहतेशाम वकारिब,
पुलिस अधीक्षक,
जिला - गुमला
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
झारखण्ड - 835207
ई मेल: sp-gum@nic.in

विषय: मौज़ा रुद्रपुर, पोस्ट गोविंदपुर, थाना जारी, जिला गुमला में स्थित मेरे खतियानी जमीन से मुझे बेदखल करने की शाजीस में शामिल पुलिस प्रशासन, अंचल कार्यालय एवं मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में परिवाद के संबंध में सुश्री अल्का एकका एवं अन्य, ग्राम-रुद्रपुर, जिला-गुमला, झारखण्ड की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुश्री अल्का एकका एवं अन्य से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

- | | |
|--|---|
| 1. सुश्री अल्का एकका,
ग्राम-रुद्रपुर,
जिला-गुमला,
झारखण्ड | 2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |
|--|---|